प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला दौसा, थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. 232/22 दिनांक 27/8/2022

2. (I) अधिनियम ..धारायें–7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.दं.सं.
(II) अधिनियम .... धारायें .....
(III) अधिनियम ..... धारायें .....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 490 समय 1.45 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन व दिनांकः– शुक्रवार, 26.08.2022 समय 12.40 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 25.08.2022 समय 11.10 ए0एम0

4. सूचना की किस्म :– लिखित

5. घटनास्थल :– कार्यालय जिला प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– करीब 130 किमी लगभग, उत्तर–पूर्व दिशा में
(ब)पता – जिला प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर
बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री भवानी सिंह
(ब) पिता/पति का नाम – श्री सोबरन
(स) जन्म तिथी/वर्ष .....करीब 25 वर्ष..
(द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....
जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय– ट्रांसपोर्ट एजेण्ट
(ल) पता– निवासी मकान नम्बर 301 सूर्या सिटी तहसील व जिला भरतपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –
1–श्री दिलीप कुमार तिवारी पुत्र स्व. श्री दयानन्द, उम्र 53 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी मकान नं. 150, श्रीपुरम गुर्जर की थडी, जयपुर हाल जिला परिवहन अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर
2–श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री शांतिस्वरूप शर्मा, उम्र 56 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी मौहल्ला गोपालगढ, भरतपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर,
3–श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा पुत्र श्री सोमेन्द्र शर्मा, उम्र 44 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी पुराना बयाना बस स्टैण्ड, भरतपुर हाल दलाल (प्राईवेट व्यक्ति), कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... कोई नहीं.

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ट्रेप रिश्वती राशि– रिश्वती राशि 37,200/–रूपये

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .....रिश्वती राशि 37,200/–रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि परिवादी श्री भवानी सिंह पुत्र श्री सोबरन उम्र 25 साल जाति जाट निवासी मकान नम्बर 301 सूर्या सिटी तहसील व जिला भरतपुर ने दिनांक 25.08.2022 को समय 11.10 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि मैं भवानी सिंह पुत्र श्री सोबरन सिंह, उम्र 25 साल, जाति जाट, भरतपुर का रहने वाला हूं तथा जिला परिवहन कार्यालय में ट्रांसपोर्ट एजेण्ट का कार्य करता हूं, मेरे से श्री दिलीप तिवारी (डी.टी.ओ.) व श्री अनिल शर्मा (एल.डी.सी.) अपने दलाल कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा प्राईवेट व्यक्ति के मार्फत नई गाडी के रजिस्ट्रेशन पर प्रति गाडी सरकारी रसीद से अतिरिक्त 6,700 रूपये के हिसाब मेरी छः गाडिया जो कि फर्म वंशा लॉजिस्टिक नाम से है के लिये कुल 40,200/–रूपये की रिश्वत की मांग कर रहे है। रिश्वत के संबंध में प्राईवेट व्यक्ति के साथ डी.टी.ओ. दिलीप तिवारी व अनिल शर्मा एल.डी.सी. भी मांग कर रहे है। मैं

मेरे जायज कार्य के लिये इनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, बल्कि रिश्वत लेते हुए इनको रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई रंजिश, दुश्मनी व उधार का कोई लेन–देन बाकी नहीं है। आप मेरी कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट पर श्रीमान द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु मन पुलिस निरीक्षक को मार्क कर सुपुर्द की गई। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी द्वारा उक्त लिखित रिपोर्ट अपनी हस्तलिखित होना तथा उसमें अकिंत सभी तथ्य सही होना बताया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट के अवलोकन व मजीद दरियाफत से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाये जाने पर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल टेपरिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी के साथ कानि0 श्री मुकेश चन्द 121 को मांग सत्यापन हेतु समय करीब 11.50 ए.एम. पर परिवादी की गाडी से कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर के लिये रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 5.50 पी.एम. पर बाद सत्यापन कानि. मुकेश चन्द व परिवादी श्री भवानी सिंह कार्यालय में उपस्थित आये व परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि साहब मै व आपका कानि0 श्री मुकेश चन्द यहां से रवाना होकर कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर के नजदीक पहुँचे, जहा पर मैने गाडी को रोड पर एक साईड में खडी की गई। इसके बाद आपका कानि0 तो उस कार्यालय के बाहर ही रूक गया तथा मै डिजिटल टेपरिकॉर्डर को चालूकर उस कार्यालय के अन्दर जाकर श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा से मेरी गाडियों के रजिस्ट्रेशन बाबत बात कि तो उन्होने मुझसे प्रति गाडी 6700 रूपये के हिसाब से 40200 रूपये रिश्वत की मांग कि फिर मै श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा को साथ लेकर श्री अनिल शर्मा कनिष्ठ लिपिक के पास गया और उनको कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा के द्वारा प्रति गाडी के हिसाब से मांग की गई राशि का बताकर कहा कि साहब टोटल 6 गाडियों के 40200 रूपये हो रहे है कुछ कम कर लिजिये मै आपको 30 हजार रूपये दे देता हूँ तो उन्होने कहा कि ये पूरे पैसे मेरी जेब में नही जाते है इनमें से डीटीओ तिवारी जी के पास भी जाते है आप उनसे ही बात करों मै तो सिर्फ इनमें 200 रूपये ही कम कर सकता हूँ तब मैने उनको कहा कि साहब रसीद ही प्रति गाडी की 33,000 रूपये के आस पास कटी है तो उपर इतने पैसे कहा से देगा। तो उन्होने कहा कि मुझे तो 40,000 रूपये ही चाहिए आप डीटीओ साहब से बात करलो। इसके बाद मै उसके पास से डीटीओ साहब तिवारीजी के पास गया और उनको इनके द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि बाबत बताया तो डीटीओ साहब ने कहा कि जो सिस्टम है वो तो देना ही पडेगा। फिर मैने कहा कि साहब 6 गाडियों के 40200 रूपये ज्यादा हो रहे है कुछ कम करवा दिजिए तब उन्होने कहा कि मेरे पास वैसे ही काम कम है पूरे ही दो फिर मैने दूबारा कम करने के लिए कहा तो उन्होने मुझे अनिल बाबू को बुलाने के लिए भेजा तो मै अनिल बाबू को डीटीओ साहब बुला रहे है यह कहकर डीटीओ साहब के पास चला गया तो कुछ समय बाद अनिल बाबू भी वहा आ गया तब डिटीओं साहब ने उनको कहा कि ये मेरे पास क्यो आया है तब अनिल बाबू ने कहा कि ये नई गाडियों के सिस्टम वाले पैसे कम कराना चाहता है इसकी 6 गाडी है। मैने इनको कम करने के लिए मना कर दिया इसलिए आपके पास आया है। फिर अनिल बाबू व डीटीओ साहब ने आपस में बात करके डीटीओ साहब ने मुझे रसीद के अलावा प्रति गाडी के 500 रूपये कम करने के लिए कहा। इस पर मैं अनिल बाबू को रिश्वत के पैसे कल देने के लिए कहकर वहां से रवाना होकर श्री मुकेश कानि0 के पास आया और उनको ये सब बातें बताई। इसके बाद हम दोनों वहां से रवाना होकर आपके कार्यालय में आये। मैंने उन तीनो से मेरी हुई वार्ताओं को डिजिटल टेपरिकॉर्डर में टेप कर लिया था। परिवादी द्वारा पेश डिजिटल टेपरिकॉर्डर को चालूकर सूना गया तो परिवादी की बातों की ताईद हुई एवं आरोपीगण द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग कर प्रति गाडी रसीद के अलावा 6200 रूपये के हिसाब से कुल 6 गाडियों के 37,200/–रूपये की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया। डिजिटल टेपरिकॉर्डर को वापस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द वापसी डिजिटल टेपरिकॉर्डर तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, दौसा से पूर्व के तलबशुदा गवाहान सर्व श्री कृष्ण सिंह बुन्देला, कनिष्ठ सहायक एवं श्री बाबूलाल मीणा, कनिष्ठ सहायक को जरिये दूरभाष तलब करने पर दोनों गवाहान कार्यालय में उपस्थित आये। जिनका परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही गई तो दोनों ने अपनी–अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान की। इसके बाद दोनों गवाहान का परिवादी श्री भवानी सिंह से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 25.08.2022 को पेश किया गया लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट अपनी हस्तलिखित होना तथा उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद परिवादी तथा संदिग्ध आरोपीगण श्री दिलीप कुमार तिवारी,

डीटीओ, श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर व श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 25.08.2022 को टेप किया गया था एवं जिसको सुनकर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया और परिवादी से संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द–ब–शब्द ट्रान्सकिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपीगण श्री दिलीप कुमार तिवारी, डीटीओ, श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर व श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री भवानी सिंह द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वॉईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता को पैन ड्राईव में सेव करने हेतु एच.एम. मालखाना श्री बनवारीलाल हैड कानि0 से तीन खाली पैन ड्राईव मंगवाये जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की कम्प्युटर की सहायता से बारी–बारी से तीन पैन ड्राईव में सेव कर तैयार किये जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर तीनों पैन ड्राईव (सन डिस्क) पर मार्क– A-1, A-2, A-3 अंकित कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री भवानी सिंह के हस्ताक्षर करवाकर पैन ड्राईव मार्क A-1, A-2 को कागज के कवर में अलग–अलग सुरक्षित रखकर कवर पर सफेद कागज चस्पाकर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कवर सहित दोनों पैन ड्राईव को अलग–अलग सफेद कपडें की थैलियों में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1, A-2 अंकित कर, सील चिट चस्पाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया जाकर एच.एम. मालखाना श्री बनवारीलाल हैड कानि0 के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव मार्क A-3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् परिवादी को रिश्वती राशि साथ लेकर व दोनों गवाहान को दिनांक 26.08.2022 को समय 07.15 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 26.08.2022 को समय 07.15 ए.एम. पर परिवादी श्री भवानी सिंह कार्यालय में उपस्थित आया, जिसको रिश्वती राशि बाबत पूछा गया, तो अपने पास होना बताया तथा परिवादी के कुछ देर बाद ही दोनों स्वतंत्र गवाहान भी कार्यालय में उपस्थित आये। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने परिवादी श्री भवानी सिंह को संदिग्ध आरोपी श्री दिलीप कुमार तिवारी, डीटीओ, श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर व श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 74 नोट व 100–100 रूपये के दो नोट कुल 37,200/–रू0 निकाल कर पेश किये। जिनके नम्बर फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अंकित कर नोटों पर श्री नीतिन यादव, कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 37,200 रूपये के नोटों को रखकर उन पर श्री नीतिन यादव, कनिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री भवानी सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री बाबूलाल मीणा से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दिया गया। तत्पश्चात उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 37200/–रू. के नोटों को श्री नितिन यादव कनिष्ठ लिपिक से परिवादी की पहनी हुई जिन्स की सामने की दाहिनी जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को तब तक नही छुयेगा जब तक कि आरोपीगण रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हे देवे और ध्यान रखे की आरोपीगण रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखते है। परिवादी को आरोपीगण के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया गया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपीगण के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाई गई। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात् एक कांच के गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री नितिन यादव कनिष्ठ लिपिक के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि

यदि आरोपीगण उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे साबित होगा कि उन्होनें रिश्वती राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात पावडर लगाने वाले श्री नितिन यादव कनिष्ठ लिपिक के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। परिवादी, गवाहान एंव ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप में काम आने वाली शिशीयां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर आरोपीगण एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट एंव सुपुर्दगी डिजीटल टेपरिकार्डर पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 10.15 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री भवानी सिंह व स्टाफ सदस्य सर्व श्री दौलतराम हैड कानि0 101, श्री झाबर सिंह कानि. नं. 83, श्री अशोक कुमार कानि0 505, श्री राकेश कानि0 70, श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155 व श्री प्रेमप्रकाश कानि. नं. 382 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के जरिये दो प्राईवेट वाहनों परिवादी व अन्य से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर के लिए रवाना होकर समय करीब 12.20 पी.एम. पर कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर के नजदीक पहुंचे, जहां पर वाहनों को रोड के एक साईड में खडा करवाकर परिवादी को वाहन से नीचे उतारकर डिजीटल टेप रिकार्डर चालू करने की मुनासिब हिदायत कर कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर के लिये रवाना किया गया तथा बाकी स्टाफ सदस्य भी दोनों वाहनों से नीचे उतरकर उक्त कार्यालय के इर्द–गिर्द अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय करीब 12.40 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री भवानी सिंह ने कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर के मैन गेट पर आकर मन् पुलिस निरीक्षक को निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा, जहां पर परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि साहब मैं अभी–अभी आपके निर्देशानुसार श्री दिलीप कुमार तिवारी जिला परिवहन अधिकारी–द्वितीय के पास गया, तो उनके पास एक व्यक्ति और बैठा हुआ था, मैंने डीटीओ साहब को उनसे उनके द्वारा बताई गई राशि बाबत लेकर आने हेतु कहा तो उन्होनें मुझे धमकाते हुए बाहर निकाल दिया। इसके बाद मैं वहां से रवाना होकर श्री अनिल शर्मा, बाबूजी के पास उनके कमरे में गया, तो उनके पास ही श्री कपिल शर्मा, दलाल भी बैठा हुआ था, जिनको मैंने नमस्कार करके उनके द्वारा मांग की गई राशि लेकर आने एवं डीटीओ साहब के बारे में बताया कि मैंने डीटीओ साहब के पास रिश्वत राशि कम करवाने के लिये गया, तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। तब अनिल शर्मा बाबूजी ने मुझे कहा कि आप उनके पास गये ही क्यों, जब कल बात हो गई थी, वो दे देते, इस पर मैंने उनके द्वारा मांगने पर पाउडरयुक्त रिश्वती राशि 37,200/–रूपये अपनी पेन्ट की जेब से निकालकर उनको देने लगा, तो उन्होंने कहा कि श्री कपिल शर्मा को दे दो, तो मैंने उनके कहे अनुसार रिश्वत राशि श्री कपिल शर्मा, दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को दिये, तो श्री कपिल शर्मा ने मेरे से उक्त रिश्वती राशि अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर फिर दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में रख लिये, जो अभी भी उनकी जेब में रखे हुए है एवं श्री अनिल बाबूजी व श्री कपिल शर्मा दलाल उनके कमरे में ही बैठे हुए है। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर के मैन गेट पर बने जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय, जिसके उपर श्री दिलीप कुमार तिवारी लिखा हुआ था, के बाहर श्री दिलीप तिवारी, जिला परिवहन अधिकारी की निगरानी हेतु श्री दौलतराम, हैड कानि. को छोडा जाकर परिवादी को साथ लेकर मय गवाहान व स्टाफ सदस्यों के परिवादी के बताये अनुसार आरोपी श्री अनिल शर्मा व श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा जिस कमरे में बैठे हुए थे, उसमें गये तो एक कुर्सी पर ग्रे पेन्ट–शर्ट पहने हुए व्यक्ति की तरफ ईशार कर बताया कि यही श्री कपिल शर्मा, दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) है, जिन्होने मुझसे अपनी स्वयं, श्री अनिल शर्मा, बाबूजी व डीटीओ साहब श्री दिलीप कुमार की मांग के अनुसार श्री अनिल शर्मा, बाबूजी के सामने इनके कहे अनुसार अपनी तयशुदा रिश्वती राशि 37,200/–रूपये मेरे से प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में रख लिये। इसके बाद दूसरी कुर्सी पर पेन्ट–शर्ट पहने हुए बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये श्री अनिल शर्मा, बाबूजी है। इसके बाद उक्त दोनों

व्यक्तियों को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों का परिचय देते हुए बारी–बारी से नाम–पता पूछा तो एक ने अपना नाम अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री शांतिस्वरूप शर्मा, उम्र 56 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी मौहल्ला गोपालगढ, पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर तथा दूसरे ने अपना नाम कपिल शर्मा पुत्र श्री सोमेन्द्र शर्मा, उम्र 44 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी पुराना बयाना बस स्टैण्ड, भरतपुर हाल दलाल (प्राईवेट व्यक्ति), कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर होना बताया। तत्पश्चात् दोनों आरोपीगणों को परिवादी से ली गई रिश्वती राशि बाबत पूछा गया कि आपने श्री भवानी सिंह परिवादी से रिश्वती राशि किस काम के लिये मांग कर ली है एवं वह कहां पर है, तो श्री अनिल शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि मैंने श्री भवानी सिंह से कोई रिश्वत की मांग नहीं की और ना ही प्राप्त की। यह कुछ समय पहले मेरे पास आया, तब मैंने इनको यह कहा कि आप डीटीओ साहब के पास क्यों गये, इस पर आरोपी को दिनांक 25.08.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान स्वयं द्वारा 200/–रूपये कम करते हुए 40,000/–रूपये रिश्वती राशि की मांग करने बाबत पूछा गया तो आरोपी ने कोई मांग नहीं करना बताया। इसके बाद श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा प्राईवेट व्यक्ति दलाल से पूछा गया, तो आरोपी ने बताया कि श्री भवानी सिंह कल मेरे पास आया था और छः ट्रेलर गाडियों के बारे में बात की थी, तब मैंने इनको डीटीओ साहब व अनिल जी से बात करने के लिये कहा था। मैंने इनसे रिश्वत की कोई मांग नहीं की थी। आज ये कुछ समय पहले मैं, श्री अनिल जी के पास इनके कमरे में बैठा था, तब आया और अनिल जी को उक्त गाडियों के पेटे कुछ रूपये देने लगा, तो अनिल जी ने मुझे देने के लिये कहा था, तब मैंने अनिल जी के कहने पर भवानी सिंह से 37,200/–रूपये प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में रख लिये, जो अभी मेरी जेब में ही रखे हुए है। इस पर श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा के दोनों हाथों को स्टाफ सदस्य श्री प्रेम प्रकाश कानि. नं. 382 व श्री राकेश कुमार कानि. नं. 70 को अलग–अलग पकडने बाबत कहा तो श्री प्रेमप्रकाश द्वारा आरोपी का दाहिना हाथ व श्री राकेश कुमार द्वारा बायां हाथ अलग–अलग पकड लिये। तत्पश्चात् आरोपी का हाथ पकडे–पकडे हुए ही दूसरे आरोपी श्री अनिल शर्मा, सहायक प्रशानिक अधिकारी को साथ लेकर उक्त कमरे से श्री दिलीप कुमार तिवारी, जिला परिवहन अधिकारी के कक्ष में आये, जिस पर सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशार कर बताया कि यही श्री दिलीप कुमार तिवारी, डीटीओ साहब है, जिन्होंने मेरे से वंशा लोजिस्टिक फर्म की छः ट्रेलर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिये दिनांक 25.08.2022 को सरकारी रसीद के अतिरिक्त प्रति गाडी 500/–रूपये कम करते हुए 6,200/–रूपये प्रति गाडी के हिसाब से श्री अनिल कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के सामने कुल 37,200/–रूपये की मांग की गई व इनकी मांग के अनुसार आज मेरे से श्री अनिल बाबूजी के कहने पर श्री कपिल शर्मा ने प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिनकर अपनी अपनी पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में रख लिए। इस पर उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुए उसका नाम–पता पूछा तो उन्होने अपना नाम दिलीप तिवारी पुत्र स्व. श्री दयानन्द, उम्र 53 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी मकान नं. 150, श्रीपुरम गुर्जर की थडी, जयपुर हाल जिला परिवहन अधिकारी–द्वितीय, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर होना बताया। तत्पश्चात् श्री दिलीप कुमार तिवारी को परिवादी से दिनांक 25.08.2022 को रजिस्ट्रेशन के लिये सरकारी रसीद के अतिरिक्त प्रति गाडी 500/–रूपये कम करते हुए 6,200/–रूपये की मांग करने एवं अपनी मांग के अनुसार उक्त 37,200/–रूपये रिश्वती राशि परिवादी से दलाल कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्माद्वारा प्राप्त करने के बारे में पूछा गया तो श्री दिलीप कुमार ने बताया कि मैंने न तो दिनांक 25.08.2022 को श्री भवानी सिंह से रिश्वत की मांग की और न ही कपिल शर्मा द्वारा आज प्राप्त की गई रिश्वती राशि के बारे में मुझे कोई जानकारी नही है। यह मेरे पास कल दिनांक 25.08.2022 को एवं आज भी मेरे पास आया था, लेकिन मैंने इसको मेरे कमरे से बाहर निकाल दिया था। तत्पश्चात् पास ही खडे परिवादी से पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि साहब डीटीओ साहब, अनिल बाबूजी व कपिल शर्मा दलाल झूठ बोल रहे है, मैं जब कल दिनांक 25.08.2022 को मांग सत्यापन के समय इस कार्यालय में आया तो श्री कपिल शर्मा ने मेरे से छः ट्रेलर गाडियों के रजिस्ट्रेशन के लिये 6700 रूपये प्रति गाडियों के हिसाब से सरकारी रसीद के अतिरिक्त कुल 40,200/–रूपये रिश्वत की मांग की एवं श्री अनिल शर्मा बाबूजी ने मेरे से 200/–रूपये कम करते हुए उक्त गाडियों के 40,000/–रूपये तथा श्री दिलीप कुमार, डीटीओ साहब ने अनिल बाबूजी के सामने मेरे द्वारा कम करवाने पर प्रति गाडी 500/–रूपये कम करते हुए 6,200/–रूपये के हिसाब से 37,200/–रूपये देने के लिये कहा था, जो आज मैं इनकी मांग के अनुसार इनको देने के लिये आया, तो डीटीओ साहब ने मुझे अपने कार्यालय से बाहर कर दिया, तब मैं अनिल शर्मा बाबूजी के पास गया तो उन्होने मुझे कहा कि आप उनके पास गये ही क्यों, जब कल बात हो गई थी, वो दे देते, इस पर मैंने उनके द्वारा मांगने पर पाउडरयुक्त रिश्वती राशि 37,200/–रूपये अपनी पेन्ट की जेब से निकालकर उनको देने लगा, तो उन्होंने कहा कि श्री

कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्माको दे दो, जो उस समय अनिल बाबूजी के कमरे में ही उनके पास कुर्सी पर बैठा था, तो मैंने उनके कहे अनुसार श्री कपिल शर्मा, दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को दिये, तो श्री कपिल शर्मा ने मेरे से उक्त रिश्वती राशि अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर फिर दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में रख लिये। इसके बाद उक्त कार्यालय में काफी भीड़–भाड़ होने एवं कार्यवाही के लिये उचित जगह नहीं होने व कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने को मध्य नजर रखते हुए आरोपी श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा के दोनों हाथों को पकडे हुए ही एवं दो अन्य आरोपीगणों को साथ लेकर मय स्टाफ सदस्यों के दोनों प्राईवेट गाडियों में बैठाकर उक्त कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना सेवर, जिला भरतपुर पर पहुंचा। जहां पर तीनों आरोपीगणों को थानाधिकारी पुलिस थाना सेवर के कक्ष में कुर्सियों पर बैठाया गया। तत्पश्चात् थानाधिकारी कक्ष में रखे पानी के कैम्पर से एक प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर दो कांच के साफ गिलासो में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा जिसे मौजूदगान को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) के दाहिने हाथ की अगुलियों/अंगूठे को एवं दूसरे गिलास में आरोपी के बांये हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को डुबोकर बारी–बारी से धोवन लिया गया तो दोनों ही हाथों के अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सभी मौजूदगान ने देखकर दोनों गिलासों के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को अलग–अलग बारी–बारी से दो–दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1, R-2 व L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री बाबूलाल मीणा से लिवाई गई तो गवाह ने आरोपी के बदन पर पहनी हुई पेन्ट बरंग ग्रे की बगल की दाहिनी जेब में कुछ रूपये होना बताया तथा पेन्ट की बांई जेब में एक मोबाईल बरंग ब्लेक ओप्पो कम्पनी मय सिम मिला जिसको फर्द गिरफ्तारी में आरोपी के कहे अनुसार व्यक्ति को सुपुर्द किया जावेगा। तत्पश्चात् आरोपी के पेन्ट की दाहिनी जेब में मिली राशि को गवाह श्री बाबूलाल मीणा से बाहर निकलवाकर गिनने एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान से कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी रिश्वती राशि के नोटों के नंबरों से मिलान करने बाबत कहा, तो गवाहान ने आरोपी की पेन्ट की जेब से नोटों को निकालकर 500–500रूपये के 74 नोट एवं 100–100 रूपये के दो नोट कुल 37,200/–रूपये होना एवं फिर दोनों गवाहान ने बरामदशुदा नोटों के नंबरों का फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नंबरों से मिलान कर हू–ब–हू होना बताया। बरामद शुदा नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थीकर सील मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) के कहे अनुसार पुलिस थाना सेवर के एक कानि. से एक नया लोवर मंगवाकर आरोपी के बदन पर पहनी हुई पेन्ट, जिसकी बगल की दाहिनी जेब से रिश्वती राशि बरामद हुई, उक्त पेन्ट को आरोपी के बदन से शालीनतापूर्वक उतरवाकर मंगवाया गया नया लोवर पहनाया गया। तत्पश्चात् पूर्व की भांति एक अन्य साफ कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाकर उक्त पेन्ट बरंग ग्रे की बगल की दाहिनी जेब जिससे रिश्वती राशि बरामद की गई थी, को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया जाकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी मौजूदगान ने देखकर धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त कांच के गिलास के धोवन को दो अन्य साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई तथा उक्त पेन्ट जिसकी बगल की दाहिनी जेब से रिश्वती राशि बरामद की गई थी, को सुखाकर उसकी जेब पर लाल पैन का गोला कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "P" अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी से प्राप्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चला कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपीगण के मध्य रिश्वत लेन–देन की वार्ता टेप होना पाई गई। इसके बाद परिवादी व आरोपीगण से आपसी रंजिश, दुश्मनी व उधार के लेन–देन बाबत पूछा तो चारों ने ही इन्कार किया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद घटना स्थल का नक्शा मौका कशीद किया गया, आरोपी श्री दिलीप कुमार तिवारी के निवास स्थान की जरिये फर्द खाना तलाशी ली गई। इसके बाद समय 06:00 पी.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री भवानी सिंह के समक्ष परिवादी व आरोपीगण श्री दिलीप कुमार तिवारी, डी.टी.ओ., श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) के मध्य दिनांक 26.08.2022 को रिश्वत राशि लेन–देन के समय हुई वार्ताओं के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को जो ट्रेप

कार्यवाही के दौरान परिवादी से प्राप्त कर चालूकर सुना जाकर वापिस बन्द कर अपने कब्जे में रखा गया था, को अपने पास से निकालकर वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से सुना गया तथा उक्त में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की शब्द–ब–शब्द समक्ष आई वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरापीगण श्री दिलीप कुमार तिवारी, डी.टी.ओ., श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री भवानी सिंह द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् वार्ता के पेन ड्राईव (सन डिस्क) बनाने हेतु तीन खाली पेन ड्राईव (सन डिस्क) ट्रेप बाक्स से ली जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता को लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन पेन ड्राईव (सन डिस्क) तैयार किये जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेन ड्राईव (सन डिस्क) पर मार्क– B–1, B–2 व B –3 अकिंत कर दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री भवानी सिंह के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव (सन डिस्क) मार्क B–1 व B–2 को अलग–अलग कागज के कवर में सुरक्षित रखकर कवर पर सफेद कागज चस्पाकर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कवर सहित पेन ड्राईव (सन डिस्क) मार्क B–1 व B–2 को अलग–अलग एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली पर भी मार्क B–1 व B–2 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा तीसरे पेन ड्राईव (सन डिस्क) मार्क B–3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् आरोपीगण श्री दिलीप कुमार तिवारी, डी.टी.ओ., श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को जरिये फर्द पृथक–2 गिरफ्तार किये गये। इसके बाद तीनो आरोपीगण को जरिये फर्द अपनी–अपनी नमूना आवाज देने बाबत कहा तो तीनों ने ही अपनी नमूना आवाज देने से इन्कार किया। ट्रेप कार्यवाही के उपयोग में ली गई नमूना ब्रांशसील नम्बर–34 को जरिये फर्द तुडवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात बाद कार्यवाही परिवादी श्री भवानी सिंह को मौके से रूखसत कर पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर से मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान व गिरफ्तारशुदा आरोपीगणों एवं जप्तशुदा आर्टिकल पैकेट व रिश्वती राशि, ट्रेप बॉक्स, स्टेशनरी के जरिये प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन मय चालक के रवाना होकर उपस्थित ए.सी.बी. कार्यालय दौसा आया। कार्यवाही में जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स व सील्ड शुदा समस्त शीशीयॉ व जब्त शुदा रिश्वती राशि नम्बरी 37,200/–रूपये को श्री बनवारीलाल, हैड कानि. के मार्फत जमा मालखाना एसीबी दौसा करवाया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को जाने की ईजाजत दी गई।

सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपीगण श्री दिलीप कुमार तिवारी पुत्र स्व. श्री दयानन्द, उम्र 53 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी मकान नं. 150, श्रीपुरम गुर्जर की थडी, जयपुर हाल जिला परिवहन अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर व श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री शांतिस्वरूप शर्मा, उम्र 56 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी मौहल्ला गोपालगढ, भरतपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर,एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये अपने दलाल श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा पुत्र श्री सोमेन्द्र शर्मा, उम्र 44 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी पुराना बयाना बस स्टैण्ड, भरतपुर हाल दलाल (प्राईवेट व्यक्ति), कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर से आपसी मिली भगत कर परिवादी श्री भवानी सिंह पुत्र श्री सोबरन उम्र 25 साल जाति जाट निवासी मकान नम्बर 301 सूर्या सिटी तहसील व जिला भरतपुर हाल ट्रांसपोर्टर एंव एजेण्ट कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरतपुर से फर्म वंशा लोजिस्टिक की छः नई ट्रेलर गाडियों के रजिस्ट्रेशन करने के लिए सरकारी रसीद के अतिरिक्त मांग सत्यापन दिनांक 25.08.2022 को दलाल श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा प्राईवेट व्यक्ति द्वारा अपने स्वंय व श्री दिलीप कुमार तिवारी डिटीओं एंव श्री अनिल कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के लिए 40,200/–रूपये की रिश्वत की मांग करना व श्री अनिल शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उक्त रूपयों में से 200/–रूपये को कम करते हुए 40,000/–रूपये की मांग करना एंव श्री दिलीप कुमार तिवारी जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर ने श्री अनिल शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के सामने प्रति गाडी 500/–रूपये कम करते हुए 6,200/–रूपये के हिसाब से छः गाडियों के 37,200/–रूपये की मांग करना तथा आरोपीगण द्वारा अपनी उक्त मांग के अनुशरण में वर वक्त ट्रेप कार्यवाही आज दिनांक 26.08.2022 को परिवादी श्री भवानी सिंह से दलाल श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा द्वारा श्री अनिल शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के कहने पर उनके सामने रिश्वत राशि 37200 रूपये प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखना एवं उक्त रिश्वती राशि

37,200/—रूपये आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से बरामद होना स्पष्ट रूप से पाया गया है। तीनों आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए पीसी एक्ट 1988 (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.दं.सं. में प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री दिलीप कुमार तिवारी पुत्र स्व. श्री दयानन्द, उम्र 53 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी मकान नं. 150, श्रीपुरम गुर्जर की थडी, जयपुर हाल जिला परिवहन अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर, श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री शांतिस्वरूप शर्मा, उम्र 56 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी मौहल्ला गोपालगढ, भरतपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर व श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा पुत्र श्री सोमेन्द्र शर्मा, उम्र 44 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी पुराना बयाना बस स्टैण्ड, भरतपुर हाल दलाल (प्राईवेट व्यक्ति), कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर के के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

(नवल किशोर)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
दौसा

पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
दौसा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट से नवल किशोर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री दिलीप कुमार तिवारी पुत्र स्व.श्री दयानन्द, जिला परिवहन अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर 2. श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री शांतिस्वरूप शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर एवं 3. श्री कपिल शर्मा उर्फ कपिल देव शर्मा पुत्र श्री सोमेन्द्र शर्मा निवासी पुराना बयाना बस स्टैण्ड,भरतपुर हाल दलाल (प्राईवेट व्यक्ति), कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 332/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक- 2906-11 दिनांक 27.08.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा।

27.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।